



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 119-2020/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, AUGUST 24, 2020 (BHADRA 2, 1942 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

### Notification

The 24th August, 2020

**No. 24-HLA of 2020/66/11515.**— The Haryana Municipal (Amendment) Bill, 2020, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

**Bill No. 24-HLA of 2020**

### THE HARYANA MUNICIPAL (AMENDMENT) BILL, 2020

A

### BILL

*further to amend the Haryana Municipal Act, 1973.*

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Haryana Municipal (Amendment) Act, 2020.
2. In sub-section (1) of section 2A of the Haryana Municipal Act, 1973 (hereinafter called the principal Act),-
  - (i) in clause (ii), for the sign and word “; and”, existing at the end, the sign “:” shall be substituted; and
  - (ii) the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that the municipality existing/established at the headquarter of a district shall be a Municipal Council irrespective of its population.”
3. After section 98 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:-

“98A. Recovery of dues by way of distraint/attachment and sale of properties.- Notwithstanding any other provision for recovery of any amount on account of arrears of tax or fee or charge or cess payable under this Act or under the rules or bye laws made thereunder or any other money claimed by the committee, such amount due on account of tax or fee or charge or cess payable under this Act or under the rules or bye laws made thereunder or any other money claimed by the committee may be recovered by way of the following process:

  - (i) by distraint and sale of defaulter’s moveable property;
  - (ii) by the attachment and sale of defaulter’s immovable property.

Short title.  
Amendment of  
section 2A of  
Haryana Act 24  
of 1973.

Insertion of  
section 98A in  
Haryana Act 24  
of 1973.

**Explanation.-** The fact that any other process provided under this Act for recovery of any amount on account of arrears of tax or fee or charge or cess payable under this Act or under the rules or bye laws made thereunder or any other money claimed by the committee has been initiated shall not be a bar on initiating the recovery process provided under this section and the process provided under this section may proceed simultaneously.”

Amendment of section 279 of Haryana Act 24 of 1973.

4. After sub-section (2) of section 279 of the principal Act, the following sub-section shall be added and shall be deemed to have been added with effect from the 4<sup>th</sup> September, 2019, namely:-

“(3) Notwithstanding anything contained in the Haryana Municipal (Second Amendment) Act, 2019, appointment, removal or suspension of person elected as President of municipality before coming into force of the Haryana Municipal (Second Amendment) Act, 2019 or filling up of any post/office vacated by such person shall continue to be governed by the respective provisions of the Haryana Municipal Act, 1973 that existed immediately prior to the coming of the Haryana Municipal (Second Amendment) Act, 2019 into force.

All the acts done/proceedings instituted or which might have been instituted or shall be instituted against any of the person elected as President of municipality prior to coming into force of the Haryana Municipal (Second Amendment) Act, 2019 shall continue to be governed by the respective provisions of the Haryana Municipal Act, 1973 that existed immediately prior to the coming of the Haryana Municipal (Second Amendment) Act, 2019 into force.”.

Repeal and saving.

5. (1) The Haryana Municipal (Amendment) Ordinance, 2020 (Haryana Ordinance No. 6 of 2020), is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Act.

**STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**

1. At present, 22 districts are established in the State of Haryana and at their district headquarter either the Municipal Corporation or the Municipal Council is in existence in 21 districts, whereas at the district headquarter of Nuh a Municipal Committee is in existence. As provided under the Haryana Municipal Act, 1973, minimum population of 50 thousand is required to declare a Municipality as Municipal Council. Municipal Committee, Nuh has the population of 16260 as per Census-2011 and its existing population is reached upto 24390. To accelerate the development works to be carried out at district headquarter, Nuh and to provide better civic amenities to the inhabitants, it is necessary to have a Municipal Council at this district headquarter also. After constitution of Municipal Council automatically senior level officers with large fleet will be available for the said purpose. Therefore, appropriate amendment is to be carried out in Section 2A of the Haryana Municipal Act, 1973 facilitating the declaration of Municipal Committee, Nuh as Municipal Council.

2. The main income source of the Municipalities is generated from the Taxes, Fees, Charges or Cess. Section 130 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 prescribes the mode of recovery of Taxes or Fees leviable from property holders. Whereas the Haryana Municipal Act, 1973 does not have the provisions of mode of recovery as provided under clause (ii) & (iii) of Section 130 of Haryana Municipal Corporation Act, 1994. On account of non-availability of such provisions in the Haryana Municipal Act, 1973, the pending huge amount against the tax payers cannot be recovered effectively & efficiently. These provisions will certainly help the Municipal Councils/Committees to recover the due amount on account of taxes or fees or charges or cess. Therefore, aforesaid modes of recovery available in the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 are required to be incorporated under the Haryana Municipal Act, 1973 by way of insertion of Section 98A immediately after Section 98 and immediately before Section 99 of the Haryana Municipal Act, 1973.

3. Haryana Municipal (Second Amendment) Act, 2019 has been enacted by the State Legislature which has been published and came into force with effect from 04.09.2019. By this Amendment Act, it has been provided that all the seats in the municipality including the President shall be filled in by person chosen by direct election. Section 21 of the Act which provided for No Confidence Motion against President or Vice President, has also been amended and the President now cannot be removed by No Confidence Motion by other Members of the municipalities. Consequential, amendments have also been made with respect to the Office of the President of municipalities by way of this Amendment Act. However, the Amendment Act, 2019 is silent about transitional provisions about persons elected as President by Members of the municipalities as per provisions existing prior to this Amendment Act. Nothing is indicated in this Amendment Act about repeal and saving of provisions existing prior to amendment and how the persons who have been elected prior to amendment are to be governed about their suspension, removal or filling up vacancies vacated by such indirectly elected persons. Number of cases are now coming up in Court, where process for No Confidence Motion was started prior or after amendment with respect to the President of municipalities elected indirectly by other Members of the municipalities from amongst themselves. In CWP No. 9434 of 2020 titled Seema Rani, President, Municipal Committee, Jakhal Mandi Versus State of Haryana and others and decided on 13.07.2020, the Court has taken the view that there is no saving clause in the Haryana Municipal (Second Amendment) Act, 2019 which would have dealt with status of persons elected as President under the pre-amended provisions. The Court has accordingly quashed the order of the Deputy Commissioner calling meeting of the Municipal Committee to consider No Confidence Motion against President.

Similar pleas are now being raised with respect to No Confidence Motion proceedings initiated by the Members of the municipalities against Presidents elected by them prior to coming into force of the Haryana Municipal (Second Amendment) Act, 2019. The Act is also lacking as to how the office/post of President are to be filled, if such persons are removed from his post.

Such a consequence was neither the object nor the intention behind carrying out the said amendment through the Haryana Municipal (Second Amendment) Act, 2019. The intention always was to apply the amended provisions only on the Presidents of Municipalities who were to be elected in future by way of direct elections. The existing Presidents (elected indirectly prior to coming of Haryana Municipal (Second Amendment) Act, 2019 into force) were to be governed in these matters by the un-amended provisions of the Haryana Municipal Act 1973 that existed immediately prior to coming of the Haryana Municipal (Second Amendment) Act, 2019 into force.

To rectify the error that seem to have crept in, an Ordinance has been promulgated *vide* Law and Legislative Department Notification No. Leg.22/2020, dated 17.08.2020 *vide* which Repeal and Saving provisions contained in Section 279 of the Haryana Municipal Act, 1973, sub section (3) has been added to the effect that notwithstanding anything contained in the Haryana Municipal (Second Amendment) Act, 2019, appointment, election, removal or suspension of persons appointed before coming into force of the Amendment Act shall continue to be governed by the provisions of the un-amended Act existing prior to coming into force of the Haryana Municipal (Second Amendment) Act, 2019. Now, therefore, the provisions of Ordinance are required to be converted into Bill for seeking approval of the Haryana Legislative Assembly.

ANIL VIJ,  
Urban Local Bodies Minister, Haryana.

-----

CHANDIGARH:  
The 24th August, 2020.

R. K. NANDAL,  
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2020 का विधेयक संख्या 24 एच.एल.ए.

**हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2020**  
**हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973,**  
**को आगे संशोधित करने के लिए**  
**विधेयक**

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. यह अधिनियम हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2020, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।
2. हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2क की उप-धारा (1) में,—
  - (i) खण्ड (ii) में, अन्त में विद्यमान “; और” चिह्न तथा शब्द के स्थान पर, “:” चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा ; तथा
  - (ii) निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :-  
 “परन्तु किसी जिला मुख्यालय पर विद्यमान/स्थापित नगरपालिका, इसकी जनसंख्या पर विचार किए बिना नगर परिषद् होगी ;”।
 1973 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 2क का संशोधन।
3. मूल अधिनियम की धारा 98 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :-  
 “98क. संपत्तियों के करस्थम्/कुर्की तथा विक्रय द्वारा बकायों की वसूली.—इस अधिनियम के अधीन या इसके अधीन बनाए गए नियमों या उपविधियों के अधीन भुगतानयोग्य कर या फीस या प्रभार या उपशुल्क के बकाया के कारण किसी राशि या समिति द्वारा दावा की गई किसी अन्य धनराशि की वसूली के लिए किसी अन्य उपबन्ध के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन या इसके अधीन बनाए गए नियमों या उपविधियों के अधीन भुगतानयोग्य कर या फीस या प्रभार या उपशुल्क या समिति द्वारा दावा की गई किसी अन्य धनराशि के कारण बकाया ऐसी राशि की वसूली निम्नलिखित प्रक्रिया के द्वारा की जा सकती है:—  
 (i) व्यतिक्रमी की चल संपत्ति के करस्थम् तथा विक्रय द्वारा ;  
 (ii) व्यतिक्रमी की अचल संपत्ति की कुर्की तथा विक्रय द्वारा।  
**व्याख्या.—** वस्तुतः इस अधिनियम के अधीन या इसके अधीन बनाए गए नियमों या उपविधियों के अधीन भुगतानयोग्य कर या फीस या प्रभार या उपशुल्क या समिति द्वारा दावा की गई किसी अन्य धनराशि की वसूली के लिए उपबन्धित कोई अन्य प्रक्रिया संस्थित की गई है, तो इस धारा के अधीन उपबन्धित वसूली प्रक्रिया संस्थित करने के लिए वर्जित नहीं होगी और इस अधिनियम के अधीन उपबन्धित प्रक्रिया साथ-साथ की जा सकती है।”।  
 1973 के हरियाणा अधिनियम 24 में धारा 98क का रखा जाना।
4. मूल अधिनियम की धारा 279 की उप-धारा (2) के बाद, निम्नलिखित उप-धारा जोड़ी जाएगी तथा 4 सितम्बर, 2019 से जोड़ी गई समझी जाएगी, अर्थात् :-  
 “(3) हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2019 में दी गई किसी बात के होते हुए भी, हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2019 के लागू होने से पूर्व नगरपालिका के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित व्यक्ति की नियुक्ति, हटाया जाना या निलम्बन या ऐसे व्यक्ति द्वारा रिक्त किए गए किसी पद/पदवी का भरा जाना, हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 के संबंधित उपबन्ध, जो हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2019 के लागू होने से ठीक पूर्व विद्यमान थे, द्वारा शासित किया जाता रहेगा।  
 हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2019 के लागू होने से पूर्व नगरपालिका के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किए गए सभी कार्य/संस्थित कार्यवाहियां या जो संस्थित की जा सकती हैं या संस्थित की जाएंगी, हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 के संबंधित उपबन्ध, जो हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2019 के लागू होने से ठीक पूर्व विद्यमान थे, द्वारा शासित की जाती रहेंगी।”।  
 1973 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 279 का संशोधन।
5. (1) हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 6), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है। निरसन तथा व्यावृत्ति।  
 (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई समझी जाएगी।

### उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

1. इस समय, हरियाणा राज्य में 22 जिलें स्थापित हैं तथा 21 जिलों में उनके जिला मुख्यालय पर या तो नगर निगम या नगर परिषद अस्तित्व में हैं, जबकि नूंह के जिला मुख्यालय पर नगरपालिका अस्तित्व में है। हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 में उपबन्धित अनुसार नगर परिषद घोषित करने के लिए कम से कम 50 हजार की जनसंख्या अपेक्षित है। जनगणना-2011 के अनुसार नूंह की जनसंख्या 16260 है तथा इसकी वर्तमान जनसंख्या 24390 तक पहुंच गई है। जिला मुख्यालय, नूंह में किए जाने वाले विकास कार्यों की गति बढ़ाने तथा निवासियों को बेहतर नागरिक सुख-सुविधाएं मुहैया कराने के लिए इस जिला मुख्यालय पर नगर परिषद् होनी आवश्यक है। नगर परिषद के गठन के बाद वरिष्ठ अधिकारियों का समूह कथित प्रयोजन के लिए स्वतः उपलब्ध होगा। इसलिए, नगरपालिका, नूंह को नगर परिषद के रूप में घोषित करने के प्रयोजन के लिए हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 की धारा 2क में संशोधन किया जाना है।

2. नगर पालिकाओं की आय का मुख्य स्रोत कर, फीस, प्रभार या उपकर से उत्पन्न होता है। हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 130 में सम्पत्ति धारकों से उद्गृहणीय करों या फीसों की वसूली का ढंग विहित है। जबकि हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 में हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 130 के खण्ड (ii) तथा (iii) में यथा उपबन्धित वसूली के ढंग का प्रावधान नहीं है। हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 में ऐसे उपबन्धों की अनुपलब्धता के कारण कर दाताओं के विरुद्ध लम्बित विशाल राशि को कारगर रूप से तथा दक्ष रूप से वसूल नहीं किया जा सकता। ये उपबन्ध निश्चित रूप से करों या फीसों या प्रभारों या उपकर की देय राशि वसूल करने के लिए नगर परिषद/पालिकाओं की सहायता करेंगे। इसलिए, हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 में उपलब्ध वसूली के पूर्वोक्त ढंग को हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 98 के ठीक पश्चात तथा धारा 99 के ठीक पूर्व धारा 98क के रूप में सम्मिलित किया जाना है।

3. हरियाणा नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2019 राज्य विधानमण्डल द्वारा अधिनियमित किया गया है तथा प्रकाशित किया गया है जो दिनांक 04.09.2019 से लागू हुआ है। इस संशोधन अधिनियम द्वारा यह उपबन्ध किया गया है कि अध्यक्ष सहित पालिकाओं में सभी सीटें सीधे चुनाव द्वारा चुने गए व्यक्तियों से भरी जायेंगी। अधिनियम की धारा 21 जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के लिए उपबन्ध करती है, को भी संशोधित किया गया है तथा अब अध्यक्ष को नगरपरिषदों/नगरपालिकाओं के अन्य सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव से नहीं हटाया जा सकता। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा नगरपरिषदों/नगरपालिकाओं के अध्यक्ष के पद के सम्बन्ध में भी आनुषंगिक संशोधन किए गए हैं। तथापि, संशोधन अधिनियम, 2019 इस संशोधन अधिनियम से पूर्व विद्यमान उपबन्धों के अनुसार नगरपालिकाओं के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित व्यक्तियों के बारे में लगभग परिवर्ती उपबन्ध मौन है। संशोधन से पूर्व विद्यमान उपबन्धों के निरसन तथा व्यावृत्ति तथा उन व्यक्तियों को जो संशोधन से पहले निर्वाचित हुए हैं उनके निलम्बन, हटाए जाने या ऐसे सीधे रूप से निर्वाचित व्यक्तियों द्वारा रिक्त की गई रिक्तियों को भरने के बारे में कैसे शासित किया जाना है, इस संशोधन में कुछ भी नहीं बताया गया है। अब, बहुत से मामले न्यायालय में आ रहे हैं, जहां अविश्वास प्रस्ताव के लिए प्रक्रिया नगरपालिकाओं के अन्य सदस्यों द्वारा अपने आप में से सीधे रूप में निर्वाचित पालिकाओं के अध्यक्ष के सम्बन्ध में संशोधन से पहले या बाद में शुरू की गई थी। सिविल याचिका संख्या **9434 आफ 2020 शीर्षक सीमा रानी, अध्यक्ष, नगर पालिका, जाखलमण्डी बनाम हरियाणा राज्य तथा अन्य में दिनांक 13.07.2020 को दिये गये निर्णय में माननीय** न्यायालय ने अवलोकन किया है कि हरियाणा नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2019 में कोई भी व्यावृत्ति खण्ड नहीं है जो पूर्व संशोधित उपबन्धों में अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित व्यक्तियों की स्थिति पर विचार करती हो। तदानुसार न्यायालय ने अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए नगर पालिका की बैठक बुलाने के लिए उपायुक्त के आदेश को खण्डित कर दिया है।

अब हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2019 के लागू होने से पूर्व निर्वाचित अध्यक्षों के विरुद्ध नगर पालिकाओं के सदस्यों द्वारा शुरू की गई अविश्वास प्रस्ताव की कार्रवाई के सम्बन्ध में समरूप दलील उठाई जा रही है। अधिनियम में अध्यक्ष का पद कैसे भरा जाना है, यदि ऐसे व्यक्तियों को उसके पद से हटाया गया है, के सम्बन्ध में कमी भी है।

हरियाणा नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2019 के द्वारा कथित संशोधन करने के इस प्रकार के परिणाम के पीछे न तो उद्देश्य था तथा न ही इरादा था। नगर पालिकाओं के अध्यक्ष जो सीधे निर्वाचन के रूप में भविष्य में निर्वाचित किए जाने थे, पर केवल संशोधित उपबन्ध लागू करने का इरादा था। हरियाणा नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2019 के लागू होने से पूर्व इस मामले में सीधे रूप से निर्वाचित वर्तमान अध्यक्ष हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 के असंशोधित उपबन्धों द्वारा शासित किए जाने थे जो हरियाणा नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2019 के लागू होने से ठीक पूर्व विद्यमान थे।

त्रुटि जो हो गई दिखाई देती है को सुधारने के लिए एक अध्यादेश विधि तथा विधायी विभाग की अधिसूचना संख्या लैज-22/2020, दिनांक 17.08.2020 द्वारा प्रख्यापित किया गया है जिसके द्वारा हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 की धारा 279 में दिए गए निरसन तथा व्यावृत्ति उपबन्धों में इस आशय के लिए उपधारा (3) जोड़ी गई है कि संशोधन अधिनियम के लागू होने से पूर्व नियुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति, निर्वाचन, हटाया जाना या निलम्बन हरियाणा नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2019 में वर्णित प्रावधान के होते हुए भी हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2019 के लागू होने से पूर्व विद्यमान अंशशोधित अधिनियम के उपबन्धों द्वारा शासित होने जारी रहेंगे। इसलिए, अब, अध्यादेश के उपबन्धों को हरियाणा विधानसभा का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए विधेयक में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है।

अनिल विज,  
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़:  
दिनांक 24 अगस्त, 2020

आर० के० नांदल,  
सचिव।